फर्द—अहकाम

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :— उदयलाल | विपक्षी :— रोशनलाल

किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 44/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई

दिनांक : 11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 15 अनुपस्थित है। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 15 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। विपक्षी संख्या 16 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दरस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 15 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि हैं। शेष विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि का विकास कराना चाहते है जिससे भूमि के चारों ओर तारबंदी कराना चाहते है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहते है। अतः प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धाकड़ो का खेड़ा पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड की खाता संख्या नया 151 की खसरा संख्या 1008, 1009, 1010, 143, 144, 145, 184 से 193, 449 से 454, 6[illegible] 940 से 957, 975 किता 43 क्षेत्रफल 17.5700 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं [illegible] सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को नियुक्त [illegible] जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान [illegible] उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।